संख्या-156/2018/1680/26-3-2018

प्रेषक,

रवि शंकर मिश्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
उ0प्र0अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आयोग,
उ0प्र0लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ, दिनांकः 04 जुलाई 2018

विषयः- चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-80 के योजनान्तर्गत पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राज्य सहायता) के भुगतान हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-02लेखा/76910/बजट/आ0/17/62सा0, दिनांक-25-05-2018 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-80 के लेखाशीर्षक-''2225-01-800-07-53-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राज्य सहायता) के मद में रू0-19.01 लाख (रू0 उन्नीस लाख एक हजार मात्र) की धनराशि पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत कर व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने के लिये राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

1-उपर्युक्त धनराशि के उपभोग प्रमाण पत्र नियमानुसार महालेखाकार उ0प्र0, इलाहाबाद एवं शासन को उपलब्ध कराये जायेगें।

2-उक्त धनराशि का व्यय योजना के मार्गदर्शी सिद्धांतों में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप किया जायेगा।

3-स्वीकृत की जा रही धनराशि पी0एल0ए0/बैंक खाता/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।

4-जिस मद से पुनर्विनियोग प्रस्तावित किया गया है उस मद में अतिरिक्त धनराशि की मांग वर्ष 2018-19 में नही की जायेगी।

5-वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक-30.03.2018 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6-स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जायेगा जिसके लिये स्वीकृति दी गयी है।

7-उक्त धनराशि का व्यय इस सम्बन्ध में विद्यमान सुसंगत नियमों का कड़ाई से पालन करते हुये निर्धारित प्रक्रियानुसार सुनिश्चित किया जायेगा।

8-जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उसका सदपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा तथा आवश्यकतानुसार ही व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के अनुदान संख्या-80 के लेखाशीर्षक-2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछडे वर्गो के कल्याण-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-800-अन्य व्यय-07-अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग-53-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राज्य सहायता) के नामे डाला जायेगा तथा व्यय संलग्न प्रपत्र बी0एम0-9 के स्तम्भ-1 में उल्लिखित लेखाशीर्षक में उपलब्ध बचतों से पुनर्विनियोग कर वहन किया जायेगा।

संलग्नक-यथोक्त-बी0एम0-9

भवदीय

रवि शंकर मिश्र
अनु सचिव।

संख्या-156/2018/1680(1)/26-3-2018-तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- निदेशक, स्थानीय निधि, लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, इलाहाबाद।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
6- वित्त नियंत्रक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
7- निदेशक, एन0आई0सी0।
8- गार्डफाइल।

आज्ञा से,

रवि शंकर मिश्र
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

बी0एम0–9 (भाग–1)
पुर्नविनियोग की स्वीकृति के लिए आवेदन
(संदर्भ बजट मैनुअल का प्रस्तर–158)

अनुदान संख्या–80– समाज कल्याण विभाग (उ0प्र0अनुसूचितजाति तथा जनजाति आयोग) वित्तीय वर्ष 2018–19 (रू0 लाख में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संकमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखा शीर्षक (15 डिजिट कोड में)	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संकमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संकमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संकमण के पश्चात शेष अनुदान/विनियोग (2–5)
1	2	3	4	5	6
2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण–01–अनुसूचित जातियों का कल्याण–800–अन्य व्यय–07–अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग–31–सहायता अनुदान–सामान्य (वेतन)	353.04	19.01	19.01	19.01	334.03
योग	**353.04**	**19.01**	**19.01**	**19.01**	**334.03**

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संकमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखा शीर्षक (15 डिजिट कोड में)	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संकमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9–8)	वित्तविभाग द्वारा अनुमोदित संकमण की धनराशि	संकमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/विनियोग(8+11)
7	8	9	10	11	12
2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण–01–अनुसूचित जातियों का कल्याण–800–अन्य व्यय–07–अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग–53–पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राज्य सहायता)	0.00	19.01	19.01	19.01	19.01
योग	0.00	19.01	19.01	19.01	19.01

(1) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुर्नविनियोग में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर 150, 151, 154 व 155 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या– आर0ई0–37/दस–2018 दिनांक 29 जून 2018

सेवा में,
महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम
उ0प्र0, इलाहाबाद।

(रवि शंकर मिश्र)
अनु सचिव
समाज कल्याण विभाग।

राम रतन
उप सचिव
वित्त विभाग।
हा0

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

पृ0संख्या–156 / 2018 / 1680(1) / 26–3–2018 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0,इलाहाबाद ।
2– महालेखाकर (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0इलहाबाद।
3– मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4– वित्त नियंत्रक, निदेशालय, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
5– वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3 / वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 / 2, उ0प्र0 शासन।
6– राज्य योजना आयोग अनु0–1 / 2, उ0प्र0 शासन।
7– निदेशक, एन0आई0सी0योजना भवन, लखनऊ।
8– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रवि शंकर मिश्र)
अनु सचिव।